कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक (अभि0),

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ए–1/4, लखनपुर, कानपुर

ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/अनुरक्षण /उच्चीकरण कार्यो हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों /नगर निकायों में कार्यरत फर्मो/ठेकेदारों से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसको अपलोड करने की समयसीमा निम्नवत् है–

1. क्रम सं0 1 से 2 पर अंकित कार्यो की निविदा दिनांक 11.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 03.10.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं, जिन्हें दिनांक 04.10.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा (पूर्णकालिक)

निविदादाताओं द्वारा केवल शपथपत्रों की मूल प्रतियों निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित दिनांक तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रू0 (लाख में)
1	Maintenance /Upgradation of Road (Flexible), Road Widening, Paved Footpath, Utility Duct, Median, Culvert, Internal/External Drainage in UPSIDA Swadeshi Industrial Area / Kavi Nagar Industrial Area Ghaziabad (U.P.)	651.22
2	Construction of Road (Including Lane Marking, Street Furniture, Cats Eye, Painting of kerb stone-3.2 KM), Median, Culvert, Utility Duct & Crossing, Internal/Extenal Drainage-8.3 KM. Water Supply (Including OHT, Tube Well, Water Supply Pipeline Etc.), Paved Footpath and other such type of works in UPSIDA I.A. at Partapur & Udyogpuram, Meerut (U.P.)	1819.77

नोटः– निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें। जी0एस0टी0 अलग से देय होगा।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsidc.com पर स्थित ई–लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (सिविल) के मोबाइल नं0 9971857178 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रधान महाप्रबन्धक (अभि0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, कानपुर

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई – 400013 सीआईएन संख्या U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, विशेष रूप से उधारकर्ता को और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत नीचे उल्लिखित तारीख से ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित नीचे उल्लिखित राशि होगी।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वकर्ता(ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि
TCHHL 070100 010007 9525 & TCHIN 070100 010008 2275	श्री आशुतोष पाल पुत्र संतोष कुमार (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती विमला देवी उर्फ बिमला देवी पत्नी संतोष कुमार (सह–उधारकर्ता के रूप में)	ऋण अनुबंध **TCHHL0701000100079525** के अंतर्गत आपको रु. 8,65,167/– (आठ लाख पैंसठ हजार एक सौ सड़सठ रुपए मात्र) का भुगतान करना है तथा ऋण अनुबंध **TCHIN0701000100082275** के अंतर्गत आपको रु. 38,085/– (अड़तीस हजार पचासी रुपए मात्र) का भुगतान करना है, जो 12–05–2023 तक कुल रु. 9,03,252/– (नौ लाख तीन हजार दो सौ बावन रुपए मात्र) है।	05-09-2024

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय घर के सभी टुकड़े और पार्सल, 55–1/2 वर्ग गज यानी 46.41 वर्ग मीटर, मोहल्ला माधोबाड़ी तहसील और जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ

दिनांकः 07/09/2024 — हस्ता/–अधिकृत अधिकारी,
स्थानः – बरेली (उत्तर प्रदेश) — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

CIN No.: L74899DL1987PLC026617
Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, **E-mail :** cs@modisteel.net, **Website :** www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Monday, 30th September, 2024 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2023-24, have been sent on September 7, 2024 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at https://modisteel.com/wp-content/uploads/2024/09/NGIL_Annual-Report_2024.pdf and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 25th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid Annual General Meeting.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice upto the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to cs@modisteel.net

In compliance with the provisions of regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rule, 2015, the Company is pleased to extend remote e-voting facility to its members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by CDSL. All the members are informed that:

- The remote e-voting facility shall commence on Thursday 26th September, 2024 (10.00 a.m.) till Sunday, 29th September, 2024 (5.00 p.m.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is September 23, 2024.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date, i.e., Monday, September 23, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;
- Member may note that (a) the facility for voting shall be made available at the AGM, (b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again, (c) a person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial owner maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

In case of any queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or call on toll free number 1800225533 or contact Central Depository Services (India) Limited; at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 at the Email helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone nos. 022-23058543 or 022-23058542 who will address the grievances relating to electronic voting. The Members may also write to Ms. Vandana Gupta, Company Secretary of the Company at email-ID cs@modisteel.net or at the Registered Office.

By order of the Board
For **National General Industries Ltd.**
Sd/-
Vandana Gupta
Company Secretary
Memb. No. ACS24012

Place: **New Delhi**
Date: **09.09.2024**

सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज-3 गुरुग्राम, हरियाणा-122016
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आज़ादपुर वाणिज्यिक परिसर, आज़ादपुर, नई दिल्ली-110033

मांग–नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 29.08.2024 को डिमांड नोटिस जारी किया है। जिसमें निम्नलिखित ऋणी (उधारकर्ताओं) (''उक्त उधारकर्ता (ओं)'') को उन्हें जारी संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में एतद्द्वारा एक बार फिर उक्त ऋणी को सूचना दी जाती है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर दिनांक 29.08.2024 के अनुसार नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में वर्णित ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखी गई हैं।

ऋणी (ओं)/गारंटरर्रों का नाम	मांग राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
शुभम शर्मा पुत्र आशुतोष शर्मा (उधारकर्ता) 1. बबीता शर्मा पत्नी आशुतोष शर्मा, (सह–उधारकर्ता), पता – मकान नंबर सी–21, शिव विहार, सेवक पार्क, डी.के. मोहन गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली 110059, यहां भी: 54/2, ब्लॉक बी–1, सेवक पार्क,पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली– 110059	मांग सूचना दिनांकः 29.08.2024 08 जुलाई 2024 तक रु. 37,12,083 + रु. 2,19,819 = रु. 39,31,902/– (रुपये उन्तालीस लाख इकतीस हजार नौ सौ दो मात्र)।	दिल्ली राज्य , नवादा गांव की आबादी में स्थित है, जिसे मोहन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, (अब मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है) उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059 में निर्मित ऊपरी भूतल, सामने की ओर, बिना छत/छज्जा के अधिकार के, 90 वर्ग गज क्षेत्रफल , उक्त मंजिल खसरा संख्या 474 में से 133 वर्ग गज क्षेत्रफल में संख्या ई –74/1 और ई –74/2 वाली संपत्ति पर निर्मित है। निम्नलिखित रूप से घिरा हुआः– पूर्व– प्लॉट संख्या ई –73, पश्चिम– प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण– 10 फीट चौड़ी गली, उत्तर– 20 फीट चौड़ी सड़क। (पंजीकृत दिनांक 27/03/2019, पंजीयन संख्या 6,347, पुस्तक संख्या 1, खण्ड संख्या 4,199, पृष्ठ संख्या 124 से 133 पर)

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्त के रूप में सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणाम के रूप में पर आगे बढ़ेगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, पूर्वोक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और ६ या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता/–
स्थान : गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 09.09.2024 — सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 2401, जनरल थिम्मय्या रोड (छावनी), पुणे –411 001.
उपभोक्ता वित्त प्रभागः नया नंबर 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई – 600 017
राज्य कार्यालयः कार्यालय संख्या 14 और 15, ऊपरी तल, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाय पास, मानसरोवर लिंक रोड, जयपुर–302018

कब्जा सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद उक्त अधिनियम) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद उक्त नियम) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है।

उधारकर्ता(ओं) द्वारा उक्त अवधि के भीतर अतिरिक्त ब्याज सहित उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं को तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उधारकर्ताओं/गारंटरों के नामों के सामने उल्लिखित इस तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन उधारकर्ताओं के विरुद्ध उल्लिखित राशियों तथा उस पर होने वाले आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क तथा ब्याज के लिए मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम, ऋण अनुबंध संख्या	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि	बकाया राशि
1	**उधारकर्ताः** श्री निर्मल, पुत्र मुन्ना लाल शर्मा **सह–उधारकर्ताः** (1) श्री नीरज शर्मा, पुत्र मुन्ना लाल शर्मा सह–उधारकर्ताः (2) श्रीमती कमला **गारंटरः** शुभम पाराशर, पुत्र महेश कुमार पाराशर **ऋण अनुबंध संख्या** RPP05141M	04/09/2024 **कब्जे की तिथि** 17/09/2021	20.08.2024 तक रु. 16,95,693/– (केवल सोलह लाख पंचानबे हजार छह सौ तिरानबे रुपये)

बंधक संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 109 के दक्षिण भाग में भूमि और भवन का पूरा टुकड़ा, स्कीम गोपी नगर, बदरामा, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान– 302012 में स्थित, 72.66 वर्ग गज (जिसे यहां ''उक्त संपत्ति का उक्त भाग'' कहा गया है) चार सीमाएं निम्नानुसार हैंरू उत्तरः प्लॉट नंबर 109 का उत्तरी भाग, दक्षिणः प्लॉट नंबरः 110, पूर्वः प्लॉट नंबर 79, पश्चिमः सार्वजनिक सड़क

दिनांकः 04/09/2024 — इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए,
स्थानः जयपुर — (प्राधिकृत अधिकारी)

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)

श्रीमती नंदनी सिंह, (थीम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की निजी गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	**श्रीमती नंदनी सिंह**
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	जेएफ–105, सोम विहार अपार्टमेंट, आर. के. पुरम सेक्टर 5, दिल्ली–110002
3.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, कोर्ट V, नई दिल्ली ने सीपी आईबी संख्या 188/एनडी/2022 में दिनांक 04.09.2024 के आदेश द्वारा श्रीमती नंदनी सिंह (मेसर्स थीम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर) के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया (आदेश 05.09.2024 को प्राप्त हुआ)
4.	आईबीसी, 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	**04.09.2024** (आदेश 05.09.2024 को प्राप्त हुआ)
5.	समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले आईपी का नाम और पंजीकरण	**नामः** संदीप कुमार भट्ट **आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N01064-C01/ 2017-18/10298**
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	ईमेलः **skbmica@gmail.com** **पताः** 83बी, पॉकेट **IV**, मयूर विहार फेज–I, दिल्ली–110091
7.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	**पताः** 83बी, पॉकेट IV, मयूर विहार फेज–I, दिल्ली–110091 ईमेलः **skbmica@gmail.com**
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**30.09.2024**
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैः	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–V नई दिल्ली ने 04.09.2024 (आदेश 05.09.2024 को प्राप्त हुआ) को **श्रीमती नंदनी सिंह** की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्रीमती नंदनी सिंह के लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र **"फॉर्म बी"** में प्रविष्टि संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रमाण सहित अपने दावे 30.09.2024 को या उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदार अपने दावे सबूत के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ता/–
संदीप कुमार भट्ट
दिनांकः 10.09.2024 — श्रीमती नंदनी सिंह के समाधान पेशेवर
स्थानः दिल्ली — पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N01064-C01/ 2017-18/10298

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम- 695034
सीआईएन नं. -U65922KL2010PLC025624,
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजो , प्लॉट नंबर -सी 38 -सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, दूरभाष नं .: 022-62728517, ई-मेल : authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] कब्जा–सूचना(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और उन्होंने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित ऋणी/गारंटरों को एक मांग नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद, ऋणी/गारंटीकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने के बाद, ऋणी/ऋणियों, गारंटर/गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	लैन/उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	माँग सूचना की तिथि	कुल बकाया धनराशि (रू.), भविष्य में लागू ब्याज	कब्जा–तिथि
1	**लैन नं. MHFLPNCJP2000005006815 और MHFLPROJP2000005008004** **1. सुरज्ञान सिंह मीना, 2.सरोज देवी मीना, 3. राम सिंह मीना**	03–जनवरी–2024	रु. 25,84,664.00/– और 02–जनवरी–2024 के अनुसार रु.16,38,039.50/–	09-सितंबर-2024

प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः: उधारकर्ताओं के नाम पर प्लॉट नंबर 26 और 27, योजना रामनगर विस्तार, ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान स्थित सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा और अंश और उसमें सभी संरचनाएं और सुधार शामिल है। **माप – पूर्व** पश्चिम 45 फीट और उत्तर दक्षिण 47 फीट 6 इंच कुल क्षेत्रफल 232.12 वर्ग गज है। **परिबद्ध : पूर्वः** 30 फीट चौड़ी अमदारफत सरकारी सड़क **पश्चिमः** प्लॉट संख्या 25 **उत्तर :** 30 फीट चौड़ी अमदारफत सरकारी सड़क दक्षिणः अन्य संपत्ति,

विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं/गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपरोक्त निर्दिष्ट मांग–राशि और उस अन्य ब्याज मेसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 10–सितंबर–2024 — **हस्ता/– अधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

equitas

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में)
पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, हपैसर प्लाज़ा, चौथी मंजिल, फेज-II अन्ना सलाई, चेन्नई-600002

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के तहत–अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) के तहत मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित कुल बकाया राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन मेसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय राशि और उस पर आगे के ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।" प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।"

क्रं सं	ऋणी(ओं)/ गारंटरों का नाम	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्जा लेने की तारीख
1.	शाखाः अंबाला एल.नं. SEAMBAL0288192 उधारकर्ताः **1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र साधु राम,** **2. श्रीमती रानी पत्नी कृष्ण कुमार**	प्लॉट नं. 2 वाली गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश, रकबा 20 वर्ग गज, हरियाणा मोटर मार्केट (विस्तार योजना), अंबाला शहर, हरियाणा में बिक्री विलेख संख्या 7646 दिनांक 15.03.2004 के अनुसार उप–पंजीयक अंबाला शहर के कार्यालय में निम्नलिखित सीमाओं के साथ पंजीकृत हैं:– उत्तर में: खाली दुकान/18'–0", दक्षिण में: खुला प्लॉट/18'–0", पूर्व में: सड़क 40'–0" चौड़ी/10'–0", पश्चिम में: सड़क 30'–0" चौड़ी/10–0", मापः 20 वर्ग गज, उप–पंजीकरण जिले अंबाला के भीतर और पंजीकरण जिला अंबाला में स्थित है।	11.06.2024 एवं 608566/-	07.09.2024

दिनांकः 10.09.2024 स्थानः अंबाला — **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत कार्यालयः यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई , महाराष्ट्र-40055, वेबसाइटः www.yesbank.in

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता जिन्होंने बैंक से प्राप्त सुविधाओं के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके सुविधा खाते को गैर–निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	खाता संख्या	ऋण का प्रकार	उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं का नाम	13(2) सूचना के अनुसार	एनपीए की तिथि	सूचना की तिथि
1.	065684600000113	ओवरड्राफ्ट सुविधा	1. मेसर्स एंजेलिक क्रिएशन (उधारकर्ता) इसके मालिक श्री गौरव अग्रवाल हैं।, 2. श्री गौरव अग्रवाल (सह–उधारकर्ता और गारंटर), 3. श्री अनिल कुमार अग्रवाल (गारंटर और बंधककर्ता), 4. सुश्री अंजू अग्रवाल (गारंटर और बंधककर्ता)	रू. 61,44,493.12 /– (रुपये इकसठ लाख चौवालीस हजार चार सौ तिरानबे और बारह पैसे मात्र) दिनांक 07.08.2024 तक देय	05–08–2024	23–08–2024

सुरक्षित संपत्ति का विवरण – आवासीय फ्रीहोल्ड फ्लैट संख्या A41, चौथी मंजिल, क्षेत्रफल 88.83 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया 146.522 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 96 और 97 में से, गांव, हारु नगला, तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश